झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–03

सप्तदश (मॉनसून) सत्र
मंगलवार, दिनांक–30जुलाई, 2024 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 04.23 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.सूचना का दिया जाना–

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने देश में हो रहे रेल हादसों पर चिन्ता प्रकट करते हुए इसके यथाशीघ्र रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ई.डी. के अनुरोध को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के जमानत को सही करार देने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रतिपक्ष से माफी माँगने की माँग की।

माननीय सदस्य, श्री केदार हजरा ने राज्य के सभी जिलों में चौकीदार–दफादार एवं अन्य चतुर्थवर्गीय पदों के विज्ञापन में अनुसूचित जाति के रिक्तियों की संख्या शून्य दिखाये जाने पर चिन्ता जाहिर की तथा सरकार से इसमें सुधार हेतु अनुरोध किया।

माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने राज्य को अस्थिर करने की विपक्षी दलों द्वारा साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा खारिज किये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रमुख विपक्षी दल भाजपा से माफी माँगने की अपील की।

माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने खूँटी जिला में चौकीदार–दफादार एवं अन्य चतुर्थवर्गीय पदों के विज्ञापन में अनुसूचित जाति के रिक्तियों की संख्या शून्य दिखाये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तथा इसमें सुधार का अनुरोध किया।

2.प्रश्नकाल–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–48)

(क) उत्तरित कुल–02

i- अ०सू०–04	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,	स०वि०स०,
ii- अ०सू०–15	श्री विनोद कुमार सिंह,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–46, अ०सू० क्रम संख्या–35 से 80 तक।

(सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण 11.29 बजे पूर्वा० में आसन द्वारा सभा की कार्यवाही 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित की गयी।)

(अन्तराल के बाद)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3.शून्यकाल–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री मंगल कालिन्दी,
श्रीमती सबिता महतो,
श्री सोनाराम सिंकू,
श्री भूषण बड़ा,
श्री भूषण तिर्की,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
श्री सरयू राय,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री राजेश कच्छप,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्री समीर कुमार महान्ती,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री रामदास सोरेन,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
डॉ० नीरा यादव (अपृष्ठ),
श्री दशरथ गागराई(अपृष्ठ),
श्री अनन्त कुमार ओझा(अपृष्ठ),
श्रीमती सुनीता चौधरी।

4.सभा मेज पर प्रतिवेदन का उपस्थापन–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री बिनोद कुमार सिंह द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किया गया।

5.आसन से सूचना–

आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि कल दिनांकः–31.07.2024 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ 02.00 बजे अप० से भी ली जाएँगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रस्तावक एवं सम्बन्धित विभागीय मंत्री सदन में उपस्थित रहेंगे।

6.वित्तीय कार्य–

आसन से पुकारे जाने पर योजना सह वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित माँग संख्या–04 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" से सम्बन्धित माँग सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

7.वित्तीय कार्य(क्रमांक–6 से जारी)–

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी पर चर्चा में भाग लेने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने चर्चा प्रारम्भ की। तदुपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया–

श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन,
श्री भानू प्रताप शाही,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,

(इस क्रम में 03.33 बजे अप० में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन)

श्री विनोद कुमार सिंह,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री प्रदीप यादव।

इसके उपरांत सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव ने उत्तर दिया। चर्चा के बाद प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित **माँग संख्या–04 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)"** ध्वनिमत से सभा द्वारा पारित हुआ साथ ही अनुसूची में सम्मिलित माँगें बारी–बारी से गिलोटिन(मुखबन्द) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

8.विधायी कार्य–

"झारखण्ड विनियोग (संख्या–03) विधेयक, 2024"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02, खण्ड–03, खण्ड–01, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् **"झारखण्ड विनियोग (संख्या–03) विधेयक, 2024"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–31.07.2024 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–30 जुलाई, 2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।